

हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2015

संख्या सा० का० नि० 41/संवि०/अनु० 309/2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाकितयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग—ग) सेवा नियम, 1990, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग—ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा वास्तुकलां विभाग (वर्ग—ग) सेवा नियम, 1990 में, परिशिष्ट खं में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 और उसके सामन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिरक्षापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
‘4	चालक	<p>सीधी भर्ती द्वारा —</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञाप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संरकृत ; <p>शिक्षा में हिन्दी/संरकृत —</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञाप्ति होनी चाहिए ; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संरकृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पदार्थ वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ;”। 	<p>पदोन्नति द्वारा —</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) मैट्रिक ; (ii) डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर, रस्टोरर या गुप—घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञाप्ति होनी चाहिए ; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संरकृत ; (vii) पदार्थ वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ; <p>स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा —</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञाप्ति होनी चाहिए ; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संरकृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पदार्थ वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ;”।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग।